

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
14.03.2024

मिसल नम्बर

तारीख दायरा
10.06.2019

36/2019 प्रा.पत्र/2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री टीकम चन्द विजय पुत्र श्री गोविन्द नारायण विजय जाति विजयवर्गीय निवासी पोस्ट ऑफिस के सामने सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स टीकम एण्ड ब्रदर्स देवली रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001
- 2-मैसर्स टीकम एण्ड ब्रदर्स देवली रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001
- 3-श्री ईश्वर मालपानी पुत्र श्री मदनलाल मालपानी निवासी एम-40, महेश कॉलोनी, लक्ष्मी मन्दिर के पास, टोंक फाटक, जयपुर डायरेक्टर/मैनेजर मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार, जैतपुरा जयपुर राज.। पिनकोड-303704
- 4-मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार, जैतपुरा जयपुर राज.। पिनकोड-303704

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


- 1-पैरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 14.03.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2019 को समय 12:45 पीएम पर मैसर्स टीकम एण्ड ब्रदर्स देवली रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री टीकम चन्द विजय पुत्र श्री गोविन्द नारायण विजय दुकान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री टीकम चन्द विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड) के 50 ग्राम, 100 ग्राम व 500 ग्राम के लगभग 1000 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्देशा हुआ तो श्री टीकम चन्द विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री टीकम चन्द विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 10 एवं पैकिंग की दिनांक 12/2018 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 100-100 ग्राम के 20 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड)** 20 नग में से ज्यों का त्यों 5-5 नग के बराबर-बराबर चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2071 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-2071 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे **लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड)** कुल मात्रा 53 किलोग्राम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार सीज कर प्रोपरायटर श्री टीकम चन्द विजय की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलाकर सीजर मेमो तैयार कर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री टीकम चन्द विजय पुत्र श्री गोविन्द नारायण विजय ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार, जैतपुरा जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/760 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./423/एक्ट/2019/236 दिनांक 06.03.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया **लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र लेबल संबंधी त्रुटि होने की वजह से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (रजनी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रुपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
न्याय ~~अतिरिक्त~~ अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०